

## नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 05/04/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 05/04/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड, पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
3. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
4. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
5. श्री जगदीश चंद्र, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
6. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
7. श्री विनय कुमार, प्रतिनिधि, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

### D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 19/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 05/03/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 19/03/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

*सुरेंद्र मलिक*

**(2) नैट्रॉन इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई विनिर्माण इकाई की स्थापना।**

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स नैट्रॉन इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने (i) पायथन\_इंसुलेटिंग बेवरेज डिस्पेंसिंग पीई ट्यूबिंग लाइन\_डिफरेंट मॉडल/साइज (OD\_ID) (39172990)(10000 नग) /वर्ष); (ii) हाई प्रेशर होज़ 1/4 आर-7 लंबाई 6 फुट एंड फिटिंग के साथ (39173990) (10000 नग/प्रति वर्ष); (iii) रोटरी वेन पंप 350 एल/एच एटी 1450 मोटर असेंबली 184/230डब्ल्यू के साथ - कार्बोनेशन और अन्य के लिए (84138190)(10000 संख्या/वर्ष); (iv) 3741 टैप्राइट प्राइमरी रेगुलेटर वाल्व (84818090)(10000 संख्या/प्रति वर्ष); (v) T52261SN रेगुलेटर वाल्व-सेकेंडरी (84818090)(10000 संख्या/वार्षिक); (vi) T5752HPE28-02 रेगुलेटर वाल्व-डुअल CO2 रेगुलेटर सेट (84818090)(10000 संख्या/वार्षिक); (vii) 91-0130-एजिटेटर मोटर ब्लेड और ब्रैकेट के साथ (85014090)(10000 संख्या/प्रतिवर्ष) के निर्माण के लिए एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

2.2 श्री किरपा राम शर्मा, निदेशक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री शर्मा ने बताया कि वे पेय पदार्थ उद्योग के लिए पायथन, पंप मोटर, हाई प्रेशर होसेस, सीओ2 रेगुलेटर और अन्य उत्पाद बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी केवल उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य-ग्रेड उत्पादों का कारोबार करती है।

2.3 यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ देखी गई थीं जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारा जाना आवश्यक था, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और कच्चे माल की सूची जमा करना शामिल था। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि आवेदक ने फॉर्म-एफ और अपनी परियोजना रिपोर्ट में धन के स्रोत का उल्लेख 'स्वयं के पूंजी' के रूप में किया था, जबकि निधि प्रवाह विवरण में इसका उल्लेख 'वित्तीय संस्थानों' के रूप में किया गया था। आवेदक ने सूचित किया कि पूंजी केवल संस्थापक के फंड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

2.4 अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि अचल संपत्तियों की सूची में आवेदक ने आई-फोन, मोबाइल सेट और वाहन का उल्लेख किया है। अनुमोदन समिति ने बताया कि एसईजेड प्रावधानों के तहत उन सामानों पर कोई छूट, कमी और रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अधिकृत संचालन के लिए नहीं हैं और इन सामानों को आवेदक द्वारा सूची से हटा दिया जाना चाहिए।

2.5 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदन में देखी गई कमियों के सुधार और संशोधित निधि प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने के अधीन प्रस्तावित गतिविधियों के लिए मेसर्स नैट्रॉन इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**(3) ऑरिमा एंटरप्राइजेज एलएलपी - एनएसईजेड में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करना।**

सुरेंद्र मलिक

3.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स ऑरिमा एंटरप्राइजेज एलएलपी ने सादे सोने के आभूषण (71131911) (500 किलोग्राम प्रति वर्ष) के निर्माण के लिए एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

3.2 श्री लक्ष्मीकांत बियानी और श्री ऋषि बियानी, निदेशक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री बियानी ने बताया कि वे एनएसईजेड में मशीनीकृत सोने के आभूषणों का निर्माण करेंगे और हांगकांग, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करेंगे।

3.3 यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ देखी गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारा जाना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता की तुलना में अनुमान बहुत अधिक थे। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि आवेदक ने फॉर्म-एफ और अपनी परियोजना रिपोर्ट में धन के स्रोत का उल्लेख 'स्वयं निधि' के रूप में किया था, जबकि निधि प्रवाह विवरण में इसका उल्लेख 'वित्तीय संस्थान' के रूप में किया गया था। आवेदक ने सूचित किया कि पूंजी केवल संस्थापक के फंड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। प्रस्तावित गतिविधियों के लिए ऑरिमा एंटरप्राइजेज एलएलपी। यह अनुमोदन आवेदन में देखी गई कमियों के सुधार, संशोधित निधि प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने और फ़ाइल पर आंतरिक परीक्षण के अधीन है।

#### (4) ट्राइडेंट कॉर्प - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प को दिनांक 31/01/2022 को "1. का विनिर्माण: (i) रेडीमेड गारमेंट्स (61012000, 61013010, 61022000, 61023010, 61023020, 61032200, 61032300, 61034200, 61041300, 61041920, 61042200, 61042300, 61043200, 61043300, 61043920, 61044200, 61044300, 61044400, 61045200, 61045300, 61051010, 61051090, 61071100, 61071210, 61072100, 61072220, 61103430, 62031200, 62032200, 62034290, 62034300, 62034990, 62041200, 62041300, 62041919, 620520, 62052090, 62053000, 62061090, 620630, 62064000,) (क्षमता: 100000 नग/ वार्षिक) और (ii) होम फर्निशिंग सामग्री (63041910, 63041930, 63041990, 63051060, 63051090, 63052000) (क्षमता: 150000 टुकड़े/प्रति वर्ष) और दिनांक 16.06.2023 के पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार 2 भंडारण गतिविधियाँ" के लिए एक एलओए जारी किया गया था।

4.2 आगे बताया गया कि इकाई ने अध्याय 07, 08, 09, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 94, 95, 96, 97के तहत अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

4.3 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री गुप्ता ने बताया कि पन्ना ज्वेलरी से भूखंडों के हस्तांतरण में देरी के कारण इकाई को

सुरेंद्र मलिक

चालू करने के उनके प्रयासों में काफी बाधा आई है। हालाँकि, अब, भूखंडों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया था और इकाई द्वारा 20.02.2024 को कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित वस्तुओं ने महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है, और उनके भंडारण के लिए प्राधिकरण हासिल करने से उन्हें बाजार की मांगों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और बिना देरी के परिचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी।

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस अध्याय 07, 08, 09, 17, 21 और 24 के तहत माल को छोड़कर स्वीकृति पत्र (एलओए) में प्रस्तावित अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भंडारण परिचालन की समीक्षा के संबंध में नौएडा एसईजेड अनुमोदन समिति दिनांक 06.02.2024 इकाई पर लागू होगा।

**(5) जीकेबी ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।**

5.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स जीकेबी ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को "(1) नेत्र लेंस के विनिर्माण (90015000) (क्षमता: 560250 टुकड़े/वर्ष);" (2) नेत्र लेंस का व्यापार (90015000); (3) लेंस से सुसज्जित चश्मे के फ्रेम का निर्माण (90031900) (क्षमता: 50000 टुकड़े/वर्ष)" के लिए दिनांक 24/08/2004 को एक स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया गया था। इकाई ने अपना निर्यात उत्पादन 18/02/2005 से शुरू किया और इसका एलओए 17/02/2025 तक वैध है।

5.2 आगे बताया गया कि इकाई ने अपने स्वीकृति पत्र (एलओए) में "लेंस के साथ लगे चश्मे के फ्रेम का निर्माण (एचएसएन कोड 90049090)" को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

5.3 इकाई के प्रतिनिधि श्री ललित शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री शर्मा ने बताया कि हाल ही में उन्हें एनएसईजेड सीमा शुल्क द्वारा सूचित किया गया था कि उनका एक उत्पाद यानी "स्पेक्टैकल फ्रेम्स फिटेड विद लेंस" 90031900 के बजाय एचएसएन कोड 90049090 के अंतर्गत आता है। इसलिए, उन्होंने उक्त उत्पाद के आईटीसी (एचएस) कोड में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 90031900 के बजाय 90049090 के रूप में "लेंस के साथ लगे चश्मे के फ्रेम" के आईटीसी (एचएस) कोड में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**(6) गोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन का समावेश।**

6.1 बताया गया कि मेसर्स गोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड को भंडारण गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के उपकरणों, पंपों और अन्य अभियांत्रिकी उपकरणों के निर्माण और व्यापार के लिए दिनांक 19/03/2009 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। इकाई ने 26/04/2013 से अपनी निर्यात गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं और इसका स्वीकृति पत्र 25/04/2028 तक वैध है।

सुरेंद्र मलिक

6.2 आगे बताया गया कि इकाई ने अपने अधिकृत परिचालन में "तिपाई स्टैंड के साथ/बिना एलईडी फ्लड लाइट की ट्रेडिंग) (एचएसएन कोड 94054900)" को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अपने स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**(7) गार्मेक्स (इंड) अपैरल एलएलपी - साझेदारी विलेख में बदलाव, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आईटीसी (एचएस) कोड का अद्यतनीकरण।**

7.1 सूचित किया गया कि इकाई ने साझेदारी विलेख में बदलाव, उत्पादन क्षमता को 60000 पीसी/साल से बढ़ाकर 300000 पीस/सालाना और मौजूदा अधिकृत परिचालन यानी बना बनाया वस्त्र के आईटीसी (एचएस) कोड को 62114290, 62064000, 62044220, 62044390, 62063090, 62044290, 62042210, 62046990, 62082100 के रूप में अद्यतन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

7.2 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री तरसेम सरपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2021-22 और 2022-23 के दौरान महामारी के कारण उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिल सका। हालाँकि, अब उनके पास ऑर्डर थे और इसलिए उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया।

7.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आईटीसी (एचएस) कोड अर्थात् 62114290, 62082100 वर्तमान आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, जबकि इकाई ने उत्पादन क्षमता को मौजूदा क्षमता से 5 गुना तक बढ़ाने का अनुरोध किया था, उन्होंने अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी, जनशक्ति में वृद्धि, आयातित/स्वदेशी सामग्रियों की अतिरिक्त आवश्यकता के संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके अलावा, नए साझेदारों यानी श्री अनंत आहूजा और श्री जे.डी. गिरी के संबंध में पिछले तीन वर्षों के पैन, आवासीय पते का प्रमाण, बायोडाटा और आईटीआर की प्रति भी जमा नहीं की गई थी।

7.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में इकाई के 14/07/2023 से साझेदार के लाभ/हानि शेयर अनुपात में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया:

पिछले भागीदार और लाभ/हानि शेयर अनुपात	वर्तमान भागीदार और लाभ/हानि शेयर अनुपात
1. श्री हरीश आहूजा (45%)	1. श्री हरीश आहूजा (45%)
2. श्रीमती सरला आहूजा (50%)	2. श्री अनंत आहूजा (50%)
3. मैसर्स दिल्ली ब्रास एंड मेटल वर्क्स लिमिटेड (5%)	3. मैसर्स दिल्ली ब्रास एंड मेटल वर्क्स लिमिटेड (5%)
	4. श्री जे.डी. गिरी (0%)

सुरेंद्र मलिक

(ii) अनुमोदन समिति ने नौएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने के लिए ईएम प्रभाग, एनएसईजेड को निर्देश दिया।

(iii) अनुमोदन समिति ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

उपरोक्त स्वीकृतियाँ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन हैं जैसा कि इकाई द्वारा उपरोक्त पैरा 7.3 में देखा गया है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

अ बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त